INTERNATIONAL JOURNAL OF ENHANCED RESEARCH IN MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATIONS
VOL. 1, ISSUE 3, DEC. 2012 ISSN NO: 2319-7471

भारत मे मध्यकालीन शासकों के द्वारा लिये जाने वाले करः एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. दिलीप पीपाड़ा

प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग, सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा राज.

सारांशः–

भारत मे मध्यकाल मे अधिकांश समय पर मुगलों का शासन था इस कारण यदि उस समय की कर व्यवस्था का अध्ययन किया जाये तो यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि तात्कालिन समय मे कर लेते समय पर धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता था। करो की दर प्रायः हिन्दूओं से अधिक ली जाती थी व मुस्लिमों से कम। मध्यकाल मे गुलामवंश ,सल्तनतकाल, अल्लाउद्दीन खिलजी, शेरशाह शूरी, अकबर आदि सभी शासकों के द्वारा हिन्दूओं पर जजिया कर लगाया गया था जिसकी दर अधिक थी जब कि मुस्लिमों पर जकात कर लगाया जाता जिसकी दर काफी कम होती थी। इस काल मे केवल शिवाजी का ही काल ऐसा था जिसमे हिन्दूओं का यह कर नही देना पडा था। इस काल मे मुख्य रूप से कर भूमि पर लगाया जाता था। भूमि पर कर की दर उपज का लगभग 1/2 से 1/6 भाग रहती थी एवं करोरोपण करते समय भूमि के प्रकार को ध्यान मे रखा जाता था। प्रायःकम उत्पादक भूमि पर कर की दर कम रखी जाती थी। भूमि कर के अतिरिक्त सीमा कर के रूप मे भी व्यापारियों से कर लिया जाता था इस कर की दर 2.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत होती थी। कर की उच्च दर प्रायः हिन्दू व्यापारियों से ली जाती थी। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि लगभग पूरे मध्यकाल मे करारोपण करते समय धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता था।

मुख्य बिन्दूः– मध्यकाल, कर व्यवस्था, मूगल, हिन्दू, गुलामवंश ,सल्तनतकाल अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह शूरी, अकबर, शिवाजी, सीमा कर, नमक कर, चुंगी इत्यादि।

अध्ययन के उददेश्यः–

प्रस्तुत अध्ययन निम्न विशिष्ट उददेश्यों पर आधारित है।

1. मध्यकाल की कर व्यवस्था का गहन अध्ययन कर उस समय लिये जाने वाले विभिन्न करो के बारे मे विस्तार से जानकारी प्राप्त करना।
2. मध्यकाल की कर व्यवस्था मे विभिन्न शासकों की कर पद्धति की समानता व असमानता को रेखाकिंत करना।
3. मध्यकाल मे करारोपण के लिए जिम्मेदार कारकों की समीक्षा करना एवं करारोपण मे धर्म, वर्ग, जाति, स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव की जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएॅः–

प्रस्तुत अध्ययन निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है।

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENHANCED RESEARCH IN MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATIONS
VOL. 1, ISSUE 3, DEC. 2012 ISSN NO: 2319-7471

1. मध्यकाल की कर व्यवस्था का अच्छी थी एवं विभिन्न शासकों के द्वारा इस काल मे लगभग समान प्रकार के कर लगाये गये थे।
2. मध्यकाल की कर व्यवस्था मे विभिन्न शासकों ने कर लगाते समय धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नही किया जाता था।
3. मध्यकाल मे करारोपण करते समय धर्म के अलावा वर्ग, जाति, स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नही किया जाता था।

भारतीय इतिहास मे अनेकों ऐसे करों का उल्लेख है जो प्रायःमध्यकाल मे प्रारम्भ हुए थें इस कारण देश मे करो की दृष्टि से इस काल का अलग की महत्व है। प्राचीन काल मे शासकों के द्वारा अधिक मात्रा मे कर नही लिए जाते थे प्रायः वे केवल सीमा कर,भूमि कर ही अधिक लेते थे बाकी करों की दर कम ही हुआ करती थीं। मध्यकाल मे राजाओं को अनेक युद्ध करने पडे थे इस कारण इस समय मे करों की दर व करों मे विविधता आदि मे काफी अन्तर आ गया था।

तात्कालिन समय के करों के लिए कुछ विचारकों का मानना है कि इस समय करो की दर इतनी अधिक थी की आम जनता इस करो से परेशान थी जबकि कुछ विचारकों का यह मानना हैकि इस समय भी करो की दर हांलाकी अन्य समय की तुलना मे कुछ अधिक थी परन्तु यह कहना गलत होगा की उस समय कर की दर इतनी अधिक थी की आम जनता उस कर से त्रस्त थी। क्योंकि उस समय भी लगान भूमि की उपज का 1/6 भाग व ब्रिकी कर भी 2 प्रतिशत ही लिया जाता था हांलाकी उस समय कुछ कर इस प्रकार के थे जो की वर्ग विशेष, स्थान विशेष या किसी विशिष्ट उद्देश्य से लिए जाते थे। यही कारण है की भारत के कर इतिहास मे मध्य काल विंशिष्ट स्थान रखता है।

मध्यकाल की कर व्यवस्था मे मुख्य रूप से हम गुलाम सुल्तानों की कर व्यवस्था, सल्तनत काल की कर व्यवस्था, शेरशाह सूरी की कर व्यवस्था, अल्लाउददीन खिलजी ,अकबर आदि की मुगलकालीन कर व्यवस्था व शिवाजी आदि की कर व्यवस्था का प्रमुख रूप से अध्ययन करेगें।

गुलामवंश की कर व्यवस्थाः–इस शासन व्यवस्था का प्रारम्भ कुतुबुद्दीन ऐबक(1206–1210)के द्वारा किया गया था।इसी वंश के द्वारा भारत मे मुस्लिम शासन की नींव रखी गयी थी।इस समय मुख्य रूप से 5 प्रकार के कर प्रचलित थे इनमे से खराज कर ऐसा कर था जो केवल हिन्दू सांमतों से वसूल किया जाता था सामान्यत इन पर कर की दर अधिक रखी जाती थी व प्रायः यह भूमि की उपज से निर्धारित होता था। इसी प्रकार इस समय उश्र कर प्राय उस भूमि पर लिया जाता था जो कि मूसलिमों के अधिकार मे होती थी इस पर कर ही दर 1/10 भाग होती थीं। तात्कालीन समय मे जजिया कर भी प्रचलित था जो केवल हिन्दूओं से लिया जाता था इसकी दर 12 से 48 दिरहम समाज के वर्ग के अनुसार निर्धारित थी केवल अपाहिज व भिखारी वर्ग से यह कर नही लिया जाता था। इसी प्रकार काफिरों से लूटे गये धन पर लुटे गये माल का 1/5 भाग कर लिया जाता था इसे खम्स कहा जाता था एवं इसका बाकी 4/5 भाग धन सैनिकों मे बांट दिया जाता था। जकात कर मूसलमानो पर लगाया जाता था जो शरियत के अनुसार उनकी आय का 1/40 वां भाग होता था। इसके अलावा सीमा शुल्क भी इस काल मे लगाया जाता था जिसमे मुस्लिम व्यापारियों से कर की दर 2.5 प्रतिशत व गैर–मुस्लिम व्यापारियों से 5 प्रतिशत की वसूली की जाती थी।

उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुलामवंश की कर प्रणाली मे धार्मिक आधार पर काफी भेदभाव किया जाता थां। इस शासन काल मे कुतुबुददीन ऐबक के अतिरिक्त आरामशाह, इल्तुतमिश, रूकुनुद्दीन

फ़ीरोज़शाह, रजिया सूल्तान, मुईज़ुद्दीन बहरामशाह, अलाऊद्दीन मसूदशाह,गयासुददीन बलबन आदि शासक थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन क्यूमऱ्श था।

सल्तनत काल की कर व्यवस्थाः– सल्तनत काल मे कर व्यवस्था गुलामवंश की तरह ही थी इस काल मे भी वे सभी कर वसूल किये जाते थे जोकि गुलामवंश मे प्रचलित थे। इस काल मे भी करो की दर कमोबेश वही थी जो कि गुलामवंश के समय थी। परन्तु इस काल मे इनके अतिरिक्त आबकारी, सिंचाई, मकान, चरागाह, पशुओं आदि पर कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त राज्य की सीमा के बाहर से आयी वस्तुओं पर सीमा शुल्क लेने का भी प्रावधान था। सल्तनत काल मे हिन्दूओं से लिया जाने वाला जजिया कर पूर्णरूप से धर्म के आधार पर लिया जाने वाला कर था जो हिन्दूओं से उनकी जानमाल की हिफाजत के नाम पर लिया जाता था। इस कर की दर भी वर्ग के आधार पर निर्धारित होती थी जब की जकात कर मुस्लिमों से लिया जाता था जो कि भूमि की उपज का 1/10 वां भाग ही होता था इस कर के लिए यह माना जाता था की प्रत्येक मुस्लिम का कर्तव्य है कि वह जकात दे जिसे गरीब मुस्लिमो पर खर्च किया जाये। इस कारण इस प्रकार के कर की वसूली मे कडाई नही बरती जाती थी। खराज गैर–मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो उपज का 1/2 से 1/3 भाग के मध्य लिया जाता था।

सल्तनत में शासन को प्रांतों मे बांटा हुआ था।प्रांत के शासक को वली, नाजिम अथवा नायाब कहा जाता था। भ्रष्ट तरीकों से यह अधिकारी प्रजा तथा कृषकों का शोषण कर धनाढ्य हो जाते थे। नायाब का अर्थ ही स्थानापन्न अधिकारी होता था। संपन्न प्रांतों वजीर, प्रांतीय आरिज और प्रांतीय काजी भी नियुक्त किये जाते थे। इनकी कार्यप्रणाली केन्द्रीय अधिकारियों की तर्ज पर होती थी। अधिकांश धन प्रांतों से ही प्राप्त किया जाता था। इस काल मे शासन के द्वारा अमीरों से धन प्राप्त किया जाता था इस कारण उन्हे प्रजा व किसानों का शोषण करने का अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार प्राप्त था।

प्रांत का नायाब अपने क्षेत्र सर्वेसर्वा होता था। कर वसूली, न्याय कार्य तथा सेना की व्यवस्था का उत्तरदायित्व इन्हीं का होता था। प्रांतपति हिन्दू राजाओं एवं सामंतों के क्षेत्र पर आक्रमण कर हिन्दू जनता को लूटमार कर धन प्राप्त करता था। एवं इस धन का कुछ भाग राजकोष मे जमा करवा कर बाकी धन का वह अधिकारी हो जाता था। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सल्तनत काल मे हिन्दूओं को परेशान किया जाता था।

अलाउद्दीन खिलजी की कर व्यवस्थाः– हिन्दूओं पर कर लगाकर उसे बहुत ही बबर्रता पूर्वक वसूल करने मे अलाउद्दीन खिलजी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उसने उपज का आधा भाग भूमि कर निश्चित कर दिया इस कारण से हिन्दू किसानों की हालत बहुत ही खराब हो गयी। उसने हिन्दू उच्चाधिकारियों, मुकददम, खुत, चौधरी आदि किसानों को भूमिकरों मे जो रियायत मिलती थी उसे भी समाप्त कर दिया था तथा राजकोष से वंशानुगत वेतन हिन्दूओं को दिया जाता था उसे भी उसने समाप्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसने भेड बकरी चराने वाले चरागाहों आदि पर भी कर लगा दिये थे।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण मुगलकालीन कर व्यवस्था मे अलाउद्दीन खिलजी की कर व्यवस्था सबसे अधिक हिन्दूओं के खिलाफ थी क्यों कि उसके बाद के मुस्लिम शासकों ने भी हिन्दूओ पर लगाये गये करो मे रियायते प्रदान की थी व उनको दिया जाने वाला वंशानुगत वेतन देना वापस प्रारम्भ कर दिया था। इनके बाद शासन मे आये उसके उत्तराधिकारियों व तुगलक वंश के द्वारा भी करो मे कई प्रकार की रियायते प्रारम्भ की थी। तुगलक वंश के शासक फिरोजतुगलक ने तो 24 कष्टप्रद करो को समाप्त ही कर दिया था। केवल उसने शरियत के नियमो के अनुसार 4 कर ही लगाये थे पर इनमे जजिया शामिल था जिसे की काफी कठोरता के साथ वसूल किया जाता था उस काल मे उसने ब्राहम्णों से भी जजिया कर वसूल

VOL. 1, ISSUE 3, DEC. 2012 ISSN NO: 2319-7471

किया जब की उससे पहले किसी भी शासक के द्वारा ब्राहम्णों से कर वसूल नही किया गया था इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि फिरोज तुगलक भी एक धर्मान्ध शासक था।

शासन पर बेहतर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति उपनायी जो अपने उद्देश्य में काफी सफल रही, अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना के द्वारा पूरे भारत को जीतना चाहता था। इस कारण से उसने बाजार मे लागत आधारित कीमत नीति को अपनाया व वस्तुओं की राशनिंग व्यवस्था को अपनाया उसकी इस नीति के चलते वस्तुओं की कीमते नियत्रंण मे रही व उसे अपने सैनिकों को कम वेतन देना पडे। इस दृष्टि से वह अपने इस उद्देश्य में वह सफल रहा, उसके समय में न तो वस्तुओं दाम बढ़े और न ही घटे जिससे उसकी सेना कम वेतन से ही संतुष्ट रही व उसे साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भी सैनिकों की कमी महसूस नही हुयी। प्रसिद्ध विचारक बरनी इसे मध्य युग का चमत्कार कहा है

शेरशाह सूरी की कर व्यवस्थाः–शेरशाह शूरी के द्वारा दो प्रकार के कर लगाये गये थे। इनमे से स्थानिय आय जिसे अबवाब कहा जाता था यह उत्पादन व उपभोग पर लगाया जाता था जो की व्यापारी व उनके पेशो तथा आवागमन पर लगाया जाता था जब की दूसरा कर केन्द्रीय कर कहलाता था जो की भेट, व्यापार, नमक, चुंगी, जजिया, खम्स, और विभिन्न प्रकार की जमीनों पर लगाया जाता था। तात्कालीन समय मे जजिया कर सरकार की आय के महत्वपूर्ण स्त्रोतो मे से एक था। इसके अतिरिक्त सरकार को नमक कर, भूमि कर, व मालगुजारी कर के रूप मे भी काफी आय की प्राप्ति होती थी। इसके द्वारा लगान भूमि की उपज का 1/3 भाग वसूल किया जाता था। लगान के निर्धारण के लिए भूमि की उच्चतम, मध्यम और निम्न श्रेणियों की एक–एक बीघा कृषि योग्य भूमि की उपज का औसत लेकर उसे साधारण उपज स्वीकृत कर लिया गया था। ताकि उसके अनुसार लगान वसूल किया जा सके। लगान की वसूली के लिए उसके शासन काल मे तीन प्रणाली अपनाई गई थी। जब्त प्रणाली ,नश्क अथवा कनकूत प्रणाली, बटाई अथवा बज्मी प्रणाली।

अकबर की कर व्यवस्थाः– अकबर की कर व्यवस्था को मुगलकालीन कर व्यवस्था के रूप मे भी जाना जाता हैं। अकबर की कर व्यवस्था मे अन्य मुस्लिम शासको जिसमे बाबर व हुमायु भी शामिल है कि तरह हिन्दूओं के विरोध व इस्लामी सिद्धांतो पर आधारित नही थी। अकबर के शासन के दौरान भी खराज, खम्स, ज़कात व जजिया कर लागू थे। उनके शासनकाल मे टोडरमल के द्वारा प्रारम्भ की गयी भूमि की स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था प्रचलन मे आयी जिसमे भूमि की उपज का 1/3 भाग कर के रूप मे लिया जाता था। उसके शासन काल मे भी आयात–निर्यात पर हिन्दूओं से 5 प्रतिशत व मुस्लिमों से 2.5 प्रतिशत कर लिया जाता था। इसके अलावा नमक कर, खनिज पदार्थो पर कर, आंतरिक चुंगीयां व जजिया कर लिया जाता था। अकबर के द्वारा 1563 मे जजिया कर लेना बंद करवा दिया गया था जिसे अकबर के 115 साल बाद ओरंगजेब के द्वारा पुनः प्रारम्भ किया गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान सिक्कों के निर्माण, निजी व्यापार, उपहार, करद राजाओं से प्राप्त धन आदि से भी राज्य को आय की प्राप्ति होती थी। इसके अतिरिक्त भूमि पर लगने वाले उपज के 1/3 भाग लगान के रूप मे भी शासन को काफी आय की प्राप्ति होती थी। तात्कालीन समय मे जो भूमि सीधे शासन के नियंत्रण मे होती थी उसे खालसा भूमि कहा जाता था।

अकबर के शासन कि यह विशेषता थी कि इसमे हमें मध्ययुगीन इतिहास में पहली बार इतने सारे क्षेत्रीय विभाजन और उप–विभाजन मिलते हैं। राजनीतिक और राजकोषीय उद्देश्यों के लिए अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सुबाहों में विभाजित कर दिया था। इन्ही सूबाहों के माध्यम से पूरी कर की उगायी की जाती थी। उनके शासन काल मे उन्होंने माप इकाई के मानकीकरण का आदेश दिया एवं माप की इकाई मे इलही गज को भूमि माप की निश्चित इकाई बना दिया गया। यह इलही गज 41 उंगलियों (लगभग 29 –32 इंच) के बराबर होता था, यह शेरशाह द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिकंदारी गज (लगभग 39 इंच) से छोटा था।

इस प्रकार उनके समय मे भूमि के माप के रूप में गज इकाई को काम मे लिया गया जो कि सिकंदर लोदी के शासन काल के दौरान प्रचलीत व्यवस्था थी।

शिवाजी की कर व्यवस्थाः– परन्तु शिवाजी की कर व्यवस्था पूरे राज्य मे एक समान नही थी वे अपने जीते हुए प्रदेशो मे आवश्यकतानुसार अलग–अलग स्थान पर अलग–अलग कर वसूल किया करते थे। शिवाजी ने मलिक अंबर की भूमिकर व्यवस्था को आदर्श मानकर उसे अपने पूरे राज्य मे लागू किया था। इस कर व्यवस्था मे जो उसर व बंजर भूमि को खेती योग्य बनाता था तो उससे कुछ वर्षो तक कोई कर वसूल नही किया जाता था। इसी प्रकार उनकी भूमि कर व्यवस्था मे ग्रामवार भी अन्तर देखने को प्राप्त होता है। सामान्य रूप से कर भूमि की उपज का 2/5 भाग लिया जाता था।

उनकी कर व्यवस्था मे कर की वसूली का कार्य के लिए उन्होंने कर्मचारियों को दिया हुआ था जिनको 5 हुन वेतन दिया जाता था जब की शिवाजी से पूर्व कर की वसूली का कार्य गांवों के पटेल, कुलकर्णी, देशमुख व देशपाण्डे के द्वारा किया जाता था। उन्होंने भूमि कर के अतिरिक्त उन्होंने चौथ व सरदेशमुखी कर भी लगाया था जिसमे उनका मानना था कि महाराष्ट्र प्रदेश का वंशानुगत सरदेशप्रमुख है इस कारण उस क्षेत्र कर 10 प्रतिशत कर उसको मिलना चाहिए। उस समय यह व्यवस्था थी कि जो जहा का प्रमुख होता था वही लगान वसूल करता था एवं उसे लगान मे से 10 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता था।

इसके अलावा शिवाजी के समय चौथ प्रथा भी विधमान थी जिसमे उपज का 1/4 हिस्सा लिया जाता था इसमे वे किसी क्षैत्र मे आंक्रमण नही करने व शान्ति पूर्वक रहने देने के बदले उपज का चौथाई हिस्से की मांग करते थे। इसके अतिरिक्त उस समय सिक्कों, भेटों, आयात–निर्यात, पारपत्रों व चुंगी कर के रूप मे भी राज्य को आय की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार शिवाजी के द्वारा सरदेशमुखी कर व चौथ के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया गया था।

शिवाजी की गिनती उन राजाओं मे होती है जिन्होंने भारत से मुगल शासन समाप्त करने का प्रयास किया। वे एक ऐसे शासन थे जो उग्र नायक, चरित्रवान और महान आदर्शों से प्रेरित थे। लोगों के चरित्र में उनकी अंतदृष्टि उत्सुक थी। यदि मानवता की बात की जाये तो वे इस दृष्टि से वह समकालीन राजाओं से कहीं ऊपर थे। वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रतिमूर्ति थे। शिवाजी के आलोचक इतिहासकार काफ़ी खाओ ने शिवाजी की धार्मिक उदारता की प्रशंसा की। उन्होंने कभी भी छापेमारी या लूटपाट के दौरान मस्जिद या पवित्र कुरान को अपवित्र नहीं होने दिया।

उपसंहारः–

उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्यकाल के दौरान विभिन्न राजाओं के द्वारा अपने–अपने अनुसार कर लगाये गये थे। इस काल मे शिवाजी के अलावा लगभग सभी शासक मुगल थे जिन्होंने हिन्दूओं पर धार्मिक आधार पर कर लगाये थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य काल मे करारोपण करते समय धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता था जो कि करारोपण के न्यायपूर्ण सिद्धांत के विपरित था। विभिन्न शासकों के द्वारा जो कर लगाये जाते थे उसमे धर्म के अलावा जाति व स्थान को भी प्राथमिकता प्रदान की जाती थी इस काल के कई इस प्रकार के उदाहरण है। जिसमे एक ही राजा के द्वारा अपने अलग–अलग प्रदेश मे अलग–अलग दर से करारोपण किया गया है। उस काल मे यदि कोई सामन्त शासक के नजदीक होता था तो उसकी रियासत पर कर की दर कम कर दी जाती थी जब कि शेष राज्य मे कर की दर अधिक होती थी। इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि उस समय की कर व्यवस्था करारोपण के

VOL. 1, ISSUE 3, DEC. 2012 ISSN NO: 2319-7471

सिद्धांतों के अनुकूल नही होकर शासक व उसके दरबार के पदाधिकारियों की इच्छा के आधार पर निर्धारित होती थी। इस काल मे करारोपण मे सबसे अधिक नुकसान हिन्दूओं को उठाना पडा था एवं प्रायः सभी मुगल शासकों के द्वारा शरीयत के नाम पर उन पर अधिक करारोपण किया था।जिससे इस काल मे हिन्दूओं को काफी परेशानी का सामना करना पडा था।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

[1]. A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century by Barbara W. Tuchman
[2]. 1453: The Holy War for Constantinople and the Clash of Islam and the West by Roger Crowley
[3]. A World Lit Only by Fire: The Medieval Mind and the Renaissance: Portrait of an Age by William Manchester
[4]. The History of the Medieval World: From the Conversion of Constantine to the First Crusade by Susan Wise Bauer
[5]. History of Medieval India – Ishwar Prasad and I.F. Rush brook William.
[6]. Advanced Study in the History of Medieval India (1000-1526 A.D) – J. L. Mehta
[7]. The Mughal Empire (1526-1803 A.D) – Ashirwad Lal Shrivastava, Fifth edition 1966.
[8]. Historical Dictionary of Medieval India – Iqtidar Alam Khan
[9]. India: Medieval History – Roma Chatterjee
[10]. History of Medieval India (800- 1700): Satish Chandra
[11]. History of Medieval India by Mahajan's. Chand Publishing, 2007
[12]. A Textbook of Medieval Indian History by SAILENDRA NATH SEN
[13]. Madhykalin bharat ka itihas (1200-1761AD) Book 2020
[14]. Hindi Edition by SHARMA VYAS, Kalu ram Sharma , Prakash Vyas
[15]. Madhykalin Bharat Ka Itihas 2013by Dr. Mohanlal Gupta
[16]. Bharat ka Prachin Itihas by Ram Sharan Sharma
[17]. Madhyakalin Bharat Ka Itihas (Sangh Evam Rajya Lok Sewa Ayog Dwara Ayojit Mukhya Parikshaon Hetu)
[18]. Madhyakalin Bharat Ka Brihatt Itihas-1 by J. L. Mehta (Author)